

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद् एवं सभी नगर पंचायत।

पटना, दिनांक-09/09/19

विषय:- जल जीवन हरियाली अभियान योजनान्तर्गत तालाब/पोखर/कुआँ के उड़ाही के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक- 4386, दिनांक- 22.08.2019 द्वारा सभी नगर निकायों को उनके नगर क्षेत्र में अवस्थित कम से कम एक सरकारी तालाब/पोखर के उड़ाही/जीर्णोद्धार के कार्य का शुभारम्भ दिनांक- 02.10.2019 को कराने हेतु अग्रिम तैयारियाँ करने का निदेश दिया गया था। साथ ही नगर निकायों द्वारा Soak Pit/ Roof Top Rain Water Harvesting का कार्य भी कराया जा रहा है। उक्त के क्रम में निदेश दिया जाता है कि सरकारी तालाब/पोखर के उड़ाही/जीर्णोद्धार तथा Soak Pit/ Roof Top Rain Water Harvesting आदि कार्य कराने के दौरान तीन चरणों में यथा- कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व, कार्य के दौरान तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत Lat-Long सहित फोटो खींचकर विभागीय MIS कोषांग को उपलब्ध कराया जाय।

आप अवगत है कि 02 अक्टूबर को राज्य में बड़े पैमाने पर जल जीवन हरियाली अभियान योजना का शुभारम्भ किया जाना है, जिसके संदर्भ में उपरोक्त वर्णित विभागीय पत्रांक द्वारा नगर निकाय क्षेत्र में अवस्थित कम से कम एक सरकारी तालाब/पोखर के उड़ाही के तैयारियों का निदेश दिया गया है। तालाबों/पोखरों की उड़ाही के क्रम में यह ध्यान रखा जाय कि तालाबों/पोखरों का तल उड़ाही के उपरांत उस क्षेत्र के औसत भूमि तल (Ground Level) से दस फीट से कम नहीं रहे।


यह भी स्पष्ट करना है कि कतिपय नगर निकाय क्षेत्र में सरकारी तालाब/पोखर नहीं रहने का प्रतिवेदन दिया गया है। तदालोक में उन नगर निकायों में भी 02 अक्टूबर के जल जीवन हरियाली मिशन योजना के शुभारम्भ कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए Soak Pit/ Roof Top Rain Water Harvesting/ कुआँ के उड़ाही से संबंधित कार्य कराया जाय।

जल जीवन हरियाली मिशन योजना अंतर्गत सभी नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत नगर निकाय के स्वामित्व वाले कम से कम एक भवन के Roof Top Rain Water Harvesting के कार्य का शुभारम्भ 02 अक्टूबर को किया जाय।

सभी नगर पंचायतों को निदेश दिया जाता है कि अपने नगर पंचायत क्षेत्राधीन कम से कम सरकारी/सार्वजनिक कुओं के उड़ाही का कार्य 02 अक्टूबर को शुभारंभ करें, इसके लिए विभागीय पत्रांक-1298, दिनांक- 06.09.2019 द्वारा मॉडल प्राकलन भेजा जा चुका है, जिसे <http://www.urban.bih.nic.in/Letters/LC-01-06-09-2019.pdf> पर देखा जा सकता है।

कृपया उपरोक्त सभी मामलों का अद्यतन प्रतिवेदन योजना की विवरणी के साथ दिनांक- 20.09.2019 तक अनिवार्य रूप से विभागीय MIS कोषांग को उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन,

 6/9/2019

सरकार के प्रधान सचिव।

